भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3994

जिसका उत्तर दिनांक 18.03.2020 को दिया जाना है

'डी' ग्रेड में भर्ती

3994. श्री सी.पी. जोशी :

श्री रवि किशन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा उद्यमों में 'डी' ग्रेड भर्ती में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उक्त के क्या नियम हैं और उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित सभी उद्यमों में 'डी' ग्रेड में स्थानीय लोगों की भर्ती की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) जी, नहीं । 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद भर्ती में प्रवेश स्तर वर्ग 'ग' है और इसलिए परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहायता प्राप्त संस्थानों में वर्ग 'घ' की भर्ती नहीं की जाती । तथापि, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) पुनर्वास और पुनर्वसन नीति-2006 के अनुसार केवल स्थानीय लोगों (भूमि विस्थापित) के लिए वर्ग 'घ' काडर में भर्ती करता है और उनके नियम और सुविधाएं उक्त नीति के अनुसार अधिशासित की जाती हैं ।

(ग) तथा (घ) उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यूसीआईएल प्रचालन नहीं करता है और इसलिए पिछले तीन वर्षों में उक्त स्थानों पर किसी भी काडर में कोई भर्ती नहीं की गई है ।

* * * * *